

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 30/2025

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. गोविन्द कुमार पुत्र टीकूमल
जाति सिंधी निवासी महावीर
नगर, बाड़मेर (मैसर्स राज
पैलेस एण्ड रेस्टोरेंट, रेलवे
स्टेशन के सामने वाली रोड़,
बाड़मेर का विक्रेता व मालिक)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश सोलंकी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स राज पैलेस एण्ड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड़, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.11.2024** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** जो कि फ्रीज में करीब 20 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-2716** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला



जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि सैंपल दिनांक 4.11.2024 को लिया गया और जांच दिनांक 11.11.2024 के बीच हुई है। कि पनीर शीघ्र खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है जिसके नमूना जांच हेतु 04.11.2024 को लिया गया तथा एक सप्ताह बाद नमूना की जांच किया जाना एफएसएल रिपोर्ट में बताया गया है। 7 दिन की अवधि तक पनीर का रहना संभव ही नहीं है। कथित रूप से सील सुदा डब्बे में रखे पनीर की गुणवत्ता एक सप्ताह बाद मानक स्तर के अनुरूप होना व्याहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिनुसार नहीं होने तथा सैंपल की जांच रिपोर्ट में माप दण्डों के विपरीत नहीं होने से परिवादी का परिवाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक **14.11.2024** में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया कि सैंपल दिनांक 4.11.2024 को लिया गया और जांच दिनांक 11.11.2024 के बीच हुई है। कि पनीर शीघ्र खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है जिसके नमूना जांच हेतु 04.11.2024 को लिया गया तथा एक सप्ताह बाद नमूना की जांच किया जाना एफएसएल रिपोर्ट में बताया गया है। 7 दिन की अवधि तक पनीर का रहना संभव ही नहीं है। कथित रूप से सील सुदा डब्बे में रखे पनीर



की गुणवत्ता एक सप्ताह बाद मानक स्तर के अनुरूप होना व्याहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिनुसार नहीं होने तथा सैंपल की जांच रिपोर्ट में माप दण्डों के विपरीत नहीं होने से परिवादी का परिवाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में मिल्क फेट के आँकड़े निर्धारित मानक 50% से कम नहीं के मुकाबले 40.86% पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से अत्यधिक ज्यादा है तथा इस प्रकार निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान में ग्राहकों को विक्रय करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहकर अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस जवाब प्रस्तुत नहीं करना उसके प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को भलीभाँति निर्वहन करना चाहिए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 30,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र सिंह झाँबावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर